

कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राविधिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश संघनक।

संख्या- प्राशिप/परिषद संघनक/2020/1971

संघनक दिनांक: 15-9-2020

-कार्यालय प्रारंभ-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/जर्मनी काठिनित जीक इन्स्टीट्यूट, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2020-21 हेतु दिल्ली संघनक को अनुसूचित प्रदान किए जाने से उपरत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनक से संघनक/संघनक विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को उत्तर, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक संवत् हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित गई संघनक को संघनक/पूर्व से संघनक संघनक को संघनक विस्तार/पदपत्र/प्रवेश क्षमता युक्ति सहित अन्य गतों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु संघनक प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुसंधान में संघनक समिति की बैठक के मध-02 में विस्तार इन इन्जीनियरिंग पदपत्र संघनक करने वाली पूर्व से संघनक संघनक को प्रदान रखा गया। संघनक समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श का निम्नानु निर्णय लिया गया :-

"निजी क्षेत्र में स्थापित विधियों इन इन्जीनियरिंग पदपत्र संघनक करने वाली विस्तार सत्र संघनक शिक्षण संघनक, जो प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनक से पूर्व से संघनक है, में एअरिडिप्लोमा/डीप्लोमा द्वारा सत्र 2020-21 हेतु संघनक अनुसूचित विस्तार प्रदान किया गया है। इन संघनकों में एअरिडिप्लोमा/डीप्लोमा द्वारा प्रदान किये गये अनुसूचित विस्तार को अनुसार उक्त सत्र के समुच्च अखिल पदपत्र/प्रवेश क्षमता के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद को संघनक विस्तार प्रदान किये जाने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं एअरिडिप्लोमा/डीप्लोमा द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रदान अनुसूचित विस्तार के अनुसंधान में परिषद से सत्र 2020-21 हेतु संघनक विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-08-2020 को आगत संघनक समिति की बैठक में किये गये उपरोक्त निर्णय के अनुसंधान में निम्न संख्या को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश संघनक द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नानु गतों के अर्थ पदपत्र एवं प्रवेश क्षमता हेतु संघनक विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संख्या सं.	संख्या का नाम	पदपत्र का नाम	एअरिडिप्लोमा/डीप्लोमा द्वारा सत्र 2020-21 अनुसूचित प्रवेश क्षमता	संघनक द्वारा सत्र 2020-21 अनुसूचित प्रवेश क्षमता
1.	1980	एअरिडिप्लोमा इन्जीनियरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकॉम्युनिकेशन / डिप्लोमा मेकैनिक्स, कारियाबाद।	विद्युत इन्जीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इन्जीनियरिंग टेलीकॉम्युनिकेशन इन्जीनियरिंग मेकैनिक्स इन्जीनियरिंग कम्प्यूटर ग्राफिक्स एंड इन्जीनियरिंग डिप्लोमा इन कार्टी	60 60 60 60 60 60	60 60 60 60 60 60

संघनक हेतु गत

- ✓ संख्या एअरिडिप्लोमा/डीप्लोमा द्वारा निर्णय की गयी गतों का पूर्ण प्रदान करेगी।
- ✓ संख्या उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एअर 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमकारी 1992, संघनक विनियमकारी-2018 तथा अन्य निर्णय नियमों एवं आदेशों का अनुसंधान करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों इन्जीनियरिंग पदपत्रों हेतु ₹ 20,000.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों पदपत्रों हेतु ₹ 40,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों पदपत्रों (दो वर्षों पदपत्रों के अतिरिक्त) हेतु ₹ 22,000.00 प्रतिवर्ष शुल्क की प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के समर्थन में सहाय-समर्थन पर करण द्वारा निर्णय किये जाने वाले समन्वयक इन्जीनियर, और तदनुसार कार्यवाही किया गया आवश्यक होगा। निम्न निर्णय समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया गया है, जो प्रवेश की मर्यादा पर लागू होगी।

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)
Principal (Diploma)
H.R Institute of Engg. & Technology
7th Km. Stone Delhi, Meera Road,
Morha, Ghaziabad (U.P.)

- ✓ संस्था को (उद्योग प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सप्लाइ किए जाने) विनियमावली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित अंकों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरोध निवेदन एवं सम्बद्धता सुलभ जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआई/सीआई/आई/सीआई/आई/सीआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था एलएल प्रदेश शासन द्वारा बजट वर्ष सिद्धि/निर्देश/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक प्राविधिक शिक्षा, उद्योग संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उद्योग तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उद्योग द्वारा बनाये गये नियमों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये बाध्य होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी कार्यक्रम की संस्थाएँ यदि सीसीआई -ई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संस्था में समस्त एलएल/एलएल संस्था का होना और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशक एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग एलएल प्रदेश शासन को कोई एक सप्लाइ किया जाता है तथा सप्लाइ के संस्था में या व्यापारिक द्वारा किसी प्रकार की पूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त पूर्ति संबंधित संस्था को प्रस्तुत होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी कार्यक्रम संयोजित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष को लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु आवंटित अंकों को पूर्ण सीसीआई/आई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यवाही को उपलब्ध करना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तियों के माध्यम से अथवा शासनादेशों पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आवरण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक फुटिंग, स्टाफ, सफल-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला मुद्रा, प्राप्तागत मुद्रा आदि का विवरण उपलब्ध करना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उच्चस्तरीय उपाध्याय कर्मियों के साथ शिवा रोडने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संचालित कार्यक्रम को संचालित करने हेतु निरीक्षण समिति की समस्त उपलब्ध सहाय्य गये अधिदेश, भूमि-भवन, कर्तृपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य प्रायोजक के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने को किसी भी निम्नानुसार अनुसूचनात्मक कार्यवाही की जायेगी।


(सनेह कुमार उन्नीय) सचिव/सूते सचिव

पु०प०- शक्ति/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तारीख: 19-05-2020

प्रतिसिद्धि-प्रशासक/निदेशक, एओआई इन्स्टीट्यूट ऑफ इन्जीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, 7 किलो मीटर रोड, गाजियाबाद।

(सनेह कुमार उन्नीय) सचिव/सूते सचिव


Principal (Diploma)
H.R Institute of Engg. & Technology
7th Km, Etawah Road, Meerut Road,
Morha, Ghazipur (U.P.)

कार्यपत्र

अखिल प्राविधिक शिक्षा परिषद

उत्तर प्रदेश राज्य

संख्या:- प्रावि/परिषद/सम्बद्धता/2021/3537

संख्या/दिनांक: 09/08/2021

संबंधित संस्था:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/बिहारों का उन्मुखित और इतिहास, नई दिल्ली द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु विभिन्न सरकारी/प्रायोजकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक- (09/08/2021) को परिषद कार्यलय में सम्बद्धता समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने/प्रवेश प्रस्ताव वृद्धि सहित अन्य सत्री पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सत्र के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश प्रस्ताव हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 1500-H R INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 7 TH KM MEERUT ROAD, GHAZIABAD.

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आर.इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	MECHANICAL ENGINEERING	60	60
2	CIVIL ENGINEERING	60	60
3	ELECTRICAL ENGINEERING	60	60
4	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)	60	60
5	COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING	60	60
6	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आर.इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेमेस्टर विनियमवली 2016 तथा अन्य विहित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क सत्र वर्षीय इच्छित पाठ्यक्रमों हेतु ₹0-30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय पर्यटकी पाठ्यक्रम हेतु ₹0- 45000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वर्षीय पर्यटकी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त हेतु ₹0-22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रिका से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्रिकाओं से शुल्क के सम्बन्ध में समस-समय पर छात्र/छात्रिकाओं को सूचित किये जाने वाले सार्वजनिक बखशी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया गया आवश्यक होगा। प्रवेश निर्धारण समिति द्वारा वार्षिक सत्र 2021-22 हेतु प्रवेश का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो प्रवेश की न्यूनता/अधिक हो सकती है।
- ✓ संस्था को (2000) प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना/विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। शीटों के विस्तार एवं जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समस-समय पर निर्गत सार्वजनिक के अनुसार निर्धारण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एच.आर.इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विनियमवली/विनियमवली/आदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बनाये गये विधियों, विनियमों, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के लिये

Principal (Diploma)
H R Institute of Engg. & Technology
7th Km. Stone Delhi, Meerut Road,
Meerut, Ghaziabad

बन्ध होगी।

- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं यदि पी.सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती हैं तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित्व संस्था का होगा और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। अधिसूचित शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध बाध किया जाता है तथा इनका बाध के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किराई प्रकार की प्रतिवृत्ति संबंधी अंदेश निरस्त किया जाता है तो समस्त धारित्व संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम सम्बन्धित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश जज्जट द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु सड़कनिर्माण प्रयोग होने के पूर्व फेब्रुअरी 2021 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अपना संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनमान असाइन सिपर्स का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने केंद्र/शुल्क पर संस्था की समस्त सुविधाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टॉक, साज-सज्जा, उपकरण, प्रकाश किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का निवारण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त कर्मचारियों का प्रयोग करने के साथ शिक्षण सैलरी के सम्बन्ध में सरकार आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परम्परागत संकायित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निर्देशालय समिति के समक्ष उपलब्ध करने लगे अभिलेख, रेजि-बुक, पंजीयन, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किने जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ संस्था के सहायक निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा फेब्रुअरी 2021 से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किने जाने आया शर्त का उपलब्ध किने जाने की स्थिति में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोमर)

सचिव

फोन- 0521-253304/2021/3538-4800

दिनांक 09/08/2021

पता:

H.R. INSTITUTE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 7 TH KM, MEERUT ROAD, GHAZIABAD

(सुनील कुमार सोमर)

सचिव

Ph.D. (Diploma)
H.R Institute of Engg & Technology
7th Km, Meerut Road, Ghaziabad
U.P.

